प्रेषक,

संदीप कौर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 29 नवम्बर, 2019**

विषयः **जिला उद्यान अधिकारी, बाराबंकी एवं गोण्डा हेतु मेसी फर्गुसन टैक्टर माडल एमएफ-7550 डीआईवी-2 एवं एसेसरीज क्रय हेतु कुल धनराशि रू0 13,50,000/- की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-90/बजट/2019-20, दिनांक 14.10.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-10 के लेखाशीर्षक-4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-119-बागवानी तथा वनस्पति फसलें-03-नर्सरी-0301 विभाग की स्थापित प्रक्षेत्र/पौधशाला/उद्यान आदि हेतु कृषि/उद्यान यंत्रों तथा अन्य मशीन का क्रय के मानक मद-26 मशीने और साजसज्जा/उपकरण संयत्र में प्राविधानित कुल धनराशि रू0 15.00 लाख से किये जाने के सम्बन्ध में मा0 मंत्री जी, उद्यान, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 16.9.2019 को मण्डलीय/जनपदीय उद्यान अधिकारियों के साथ औद्यनिक विकास कार्यक्रमों की सम्पन्न समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 25.9.2019 के बिन्दु संख्या-12 (iii) के आलोक में निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन रू0 13,50,000/-(रूपये तेरह लाख पचास हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं-

(1) प्रश्नगत स्वीकृति वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170- दस- 2019-231/2019, दिनांक 22.3.2019 में दी गयी शतों/प्रतिबन्धों/प्रकिया के अधीन होगी।

(2) ट्रैक्टर का माडल एवं मूल्य जेम पोर्टल के अनुसार न्यूनतम होगा, यह सुनिश्चित किये जाने का दायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

(3) टैक्टर का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-02 के संगत शासनादेश में निर्धारित सीमा/धनराशि के अन्तर्गत किया जायेगा।

(4) टैक्टर का क्रय डी0जी0एस0 एण्ड डी0 के नये जेम पोर्टल के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-02 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(5) टैक्टर हेतु अनुमन्य धनराशि/स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि टैक्टर के संदर्भ में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से टैक्टर क्रय न किया गया हो अर्थात इसकी द्विरावृत्ति न हो।

2- उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-10 के लेखाशीर्षक-4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-119-बागवानी तथा वनस्पति फसलें-03-नर्सरी-0301 विभाग की स्थापित प्रक्षेत्र/ पौधशाला/उद्यान आदि हेतु कृषि/उद्यान यंत्रों तथा अन्य मशीन का क्रय के मानक मद-26 मशीने और साजसज्जा/उपकरण संयत्र का क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170-दस-2019-231/2019, दिनांक 22.3.2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(संदीप कौर)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-48/2019-2401(1)/58-2019, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0शासन।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0शासन।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in